



परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत नवनिर्मित/नवविकसित एवं निरक्षीकरण से रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आबंटन तिथि/समय आबंटन/नीलामी स्थल: कार्यालय, उप आवास आयुक्त (कानपुर जोन) आफिस काम्पलेक्स (धूलतल) केशवपुरम्, कल्यानपुर, कानपुर।

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (आबंटन द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु० लाख में)	पात्रता
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर			
अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार का भवन (01 नग)			
3/1403	81.98	13.15	अपजीकृत
45/75 प्रकार के भवन (18 नग)			
4/396/1 to 4/396/18	75.00 to 88.79	13.32 to 15.98	पंजीकरण वर्ष 2012 के पात्रता में चयनित आवेदक

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर			
30/40 (जी०+2) प्रकार के भवन (14 नग)			
7/1G-4 (OBC), 7/1F-5 (OBC), 7/1F-7 (SC), 7/1F-8 (SC), 7/1S-9 (OBC SRZ), 7/1S-10 (GEN SRZ), 7/1S-12 (SC), 7/2S-9 (GEN), 7/2S-10 (GEN), 7/2S-11 (GEN RGS), 7/2S-10 (GEN FF)	27.64	3.90 to 4.32	अपजीकृत
दुर्बल आय वर्ग 18/40 प्रकार के भवन (39 नग)			
7/236 to 7/248, 7/251 to 7/262/1, 7/293 to 7/304/1	53.35 to 81.35	5.81 to 9.10	पंजीकरण वर्ष 2010 के पात्रता में चयनित आवेदक

लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़			
आवासीय भूखण्ड 80.00 वर्गमीटर तक (01 नग)			
1/349	30.85	6270.00 Per Sq.m.	अपजीकृत

औरैया			
आवासीय भूखण्ड 80.00 वर्गमीटर तक (15 नग)			
5/2 to 5/16	40.74 to 43.89	4480.00 Per Sq.m.	पंजीकरण दिनांक 16.01.2013 से दिनांक 16.03.2013 के मध्य खोले गये आवासीय भूखण्डों के पंजीकृत आवेदक

तालपुरा योजना, झोंसी			
आवासीय भूखण्ड 80.00 वर्गमीटर तक (01 नग)			
C-54	33.75	14784.00 Per Sq.m.	अपजीकृत

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

चन्द्रशेखर आजाद नगर, उन्नाव			
मध्यम आय वर्ग भवन (02 नग)			
सी-54 (भूतल)	84.20	7.65	नीलामी द्वारा
सी-55 (प्रथम तल)	84.20	4.87	नीलामी द्वारा

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर			
आवासीय भूखण्ड 81.00 से 170.00 वर्गमीटर तक (01 नग)			
4810	162.00	11760.00 Per Sq.m.	अपजीकृत
आवासीय भूखण्ड 171.00 वर्गमी० से अधिक (02 नग)			
4470, 4470/3	208.16 to 230.85	11760.00 Per Sq.m	अपजीकृत

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर			
मध्यम आय वर्ग 42/108 प्रकार का भवन (01 नग)			
6/129/60	114.63	18.92	अपजीकृत
आवासीय भूखण्ड 81.00 से 170.00 वर्गमीटर तक (01 नग)			
4/1002	107.80	12936.00 Per Sq.m.	अपजीकृत

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर			
मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार का भवन (01 नग)			
A-2275	127.50	16.87	अपजीकृत
उच्च आय वर्ग 97/2742 प्रकार का भवन (01 नग)			
A-2369	242.00	30.70	अपजीकृत
आवासीय भूखण्ड 171.00 वर्गमीटर से अधिक (01 नग)			
B-1544	181.35	8960.00 Per Sq.m.	अपजीकृत

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकानें एवं कियारक) सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आवृत्त दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु० लाख में)	SH-10,13,15,	18.073	15.22
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, (फेज-1) कानपुर					
दुकानें (28 नग)					
S-01@	14.97	15.53	SH-11,12	18.834	15.58
S-02 to S-09	14.42	15.20	SH-16	22.668	17.38
S-10	14.97	15.53	SH-17,18,20	18.073	15.22
SH-03,05,06,08	18.073	15.22			
SH-04,09,14,19	18.172	15.27			
SH-07	22.668	17.38			

चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना उन्नाव					
दुकानें (12 नग)					
S-6,7,8,9	9.74	5.613			
S-10,11	10.21	5.883			
S-12 to S-17	9.74	5.613			
कियारक (02 नग)					
K-1, K-2	7.455	3.992			

व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आवृत्त दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	एफ०ए० आर०	प्राचुर कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी० में)
केदावपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर					
व्यवसायिक भूखण्ड (02 नग)					
J/COM-5@	738.00	33264.00	1.20	40%	10.00
J/COM-6@	500.00	33264.00	1.20	40%	10.00
संस्थागत भूखण्ड (03 नग)					
Sec-I/B	1800.00	22680.00	-	-	-
Sec-II/C@	1545.00	24948.00	-	-	-
G/INS-1	2064.62	22680.00	1.50	35%	15.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर					
व्यवसायिक भूखण्ड (09 नग)					
AC-1	257.40	23520.00	1.50	40%	10.00
AC-4,5,6,7,8,9	171.00	23520.00	1.50	40%	10.00
AC-13	277.20	23520.00	1.50	40%	10.00
AC-14	237.80	23520.00	1.50	40%	10.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर					
व्यवसायिक भूखण्ड (15 नग)					
3/COM-1/22	605.00	23520.00	1.50	55%	10.00
3/COM-1/25	300.00	23520.00	1.50	55%	10.00
3/COM-1/27@	692.71	25872.00	1.50	55%	10.00
6/COM-1/3	420.00	23520.00	1.50	55%	12.50
6/COM-1/4,1/5	450.00	23520.00	1.50	55%	12.50
6/COM-1/6@	606.00	25872.00	1.50	55%	12.50
7/COM-1/4@	495.00	25872.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/5,1/6	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/7,1/9	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/10,1/11	450.00	23520.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/12@	480.00	25872.00	2.00	40%	10.00
प्रीमियम भूखण्ड (03 नग)					
3/PR-27@	1130.04	19404.00	1.50	55%	12.50
8/PR-14	450.00	17640.00	1.50	55%	12.50
9/PR-5	600.00	17640.00	2.00	40%	10.00

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर

व्यवसायिक भूखण्ड (10 नग)					
CC-1@	201.60	19712.00	-	-	-
CC-2	201.60	17920.00	-	-	-
6A-CP-2@	225.00	19712.00	-	-	-
B-1/10@	63.00	19712.00	-	-	-
B-1/11,1/13,1/14	45.00	17920.00	-	-	-
7/CP-2,3,4	450.00	17920.00	-	-	-
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)					
Sector 1A@	839.12	9680.00	-	-	-
Sector 1B@	1805.00	9680.00	-	-	-
Sector 5G@	834.75	9680.00	-	-	-
Sector 5H@	1627.50	9680.00	-	-	-
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (03 नग)					
7GH-02	8745.07	13555	1.50	40%	-
7GH-03	4692.23	13555	1.50	40%	-
7GH-04	7420.44	13555	1.50	40%	-

© का चिन्ह कार्नर की सम्पत्तियों का सूचक है।

नोट:- (1) हंसपुरम् योजना संख्या-2 कानपुर में दिनांक 25.09.2012 से दिनांक 25.10.2012 तक खोले गये सामान्य पंजीकरण में 53/127 प्रकार के 05 नग भवनों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य शासनादेश/परिषद नियमानुसार आरक्षण निर्धारित करते हुए उक्त तिथि को पात्रता-चयन किया जायेगा एवं नवविकसित 03 नग ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का शासनादेश/परिषद नियमानुसार आरक्षण निर्धारित करते हुए नीलामी में प्रस्तुत किया जायेगा। (2) औरैया योजना के नवविकसित 15 नग भूखण्डों का शासन/परिषद नियमानुसार आरक्षण के अनुसार आबंटन किया जायेगा। (3) लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़ में नवविकसित 96 नग व्यवसायिक भूखण्डों का उक्त तिथि को शासनादेश/परिषद नियमानुसार आरक्षण निर्धारित किया जायेगा।

A> प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग भूतल पर व्यवसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेन्ट का प्रयोग मण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सबडिवीजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

> प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूलस्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अध्याय-3 भाग-5 के प्रस्तर 1.5.1 के अनुसार प्रशानगत भूखण्डों हेतु अनुमत्य भू-आच्छादन एफ.ए.आर. व अनुमत्य इकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि-2000 के अनुसार रहेगा।

B> सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।

B> सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

> सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

> आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन दिनांक 24.01.2014 तक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) सायं 05:00 बजे तक जमा करना होगा।

> सम्पत्ति आबंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।